

16/7/18

वकील अपी० उप०

अपी० चमसिंह वं वसन्तसिंह उप०

वकील अपी० एवं अपी० मे प्रथम

पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलाट एवं रेसॉर्ट के बीच आपसी सम्झौते व लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। आपस में राजीनामा होने से अपीलाट उक्त अपील आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः अपील आगे में विशुद्ध स्पांरिज की जाती है मुकदमा फैसले शुमार लेकर नम्बर ले कम हो।

राज्य वक्ता/पाठिका  
 वै. जालोर

धन सिंह  
 वक्ता सिंह  
 पहचानकर्ता  
 (कमील अफ)